

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग

आदेश सं०-34 / क्रय-03-06 / 2023 (पार्ट-iii)-01

पटना, दिनांक- 01-01-2025

आदेश

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना के अनुरोध के आलोक में CIPET, Aurangabad से प्राप्त नायलॉन क्रेट का गुणवत्ता जाँचफल में वर्णित कतिपय पारामीटरों का मानक तथा Range निर्धारण करने, गुणवत्ता जाँचफल एवं विशिष्ट हेतु उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के आलोक में निम्न आदेश संसूचित किये जाते हैं :-

वर्ष 2023 में आपूरित नायलॉन क्रेट का CIPET, Aurangabad से प्राप्त गुणवत्ता जाँचफल पर किये गये समीक्षा, CIPET, Aurangabad से प्राप्त प्रतिवेदन, भारतीय मानक ब्यूरो से मानक एवं Specification के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन तथा बाढ़ संघर्षात्मक/कटाव निरोधक कार्यों में उपयोग किये जाने वाले नायलॉन क्रेट का BIS code एवं मानक उपलब्ध नहीं रहने के कारण बाढ़ संघर्षात्मक/कटाव निरोधक कार्यों में उपयोग किये जाने वाले नायलॉन क्रेट का विभाग द्वारा पूर्व से निर्धारित Physical Properties (परिशिष्ट-I) के अनुसार गुणवत्ता जाँच एवं आवश्यकतानुसार Material Identification Test करायी जाय।

2. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

अनुलग्नक - परिशिष्ट-I

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)
जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक-34/क्रय-03-06/2023 (पार्ट-iii)- 01

पटना, दिनांक- 01-01-2025

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-34/क्रय-03-06/2023 (पार्ट-iii)- 01

पटना, दिनांक- 01-01-2025

प्रतिलिपि:- समिति के सभी सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-34/क्रय-03-06/2023 (पार्ट-iii)- 01

पटना, दिनांक- 01-01-2025

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-34/क्रय-03-06/2023 (पार्ट-iii)- 01

पटना, दिनांक- 01-01-2025

प्रतिलिपि:- कार्यपालक अभियंता, आई०टी० केन्द्र, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

(परिशिष्ट -1)

बिहार सरकार
जल संसाधन विभाग।
आदेश

आदेश संख्या-02/क्रय-03-06/2023 पार्ट-1- 43 /पटना, दिनांक-29-01-2024

जल संसाधन विभाग द्वारा बाढ़ अवधि के दौरान आवश्यकतानुसार बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराया जाता है, जिसमें सामान्यतः विभाग द्वारा क्रय किये गये बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों यथा नये खाली सीमेंट बोरो, नन वोभन जियो बैग, नन वोभन मेगा जियो बैग, नायलन क्रेट, जी0टी0 फिल्टर, बी0ए0 वायर एवं पी0 पी0 रोप गैबियन इत्यादि का उपयोग किया जाता है। विभाग द्वारा बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के कोटेशन आमंत्रण सूचना में गुणवत्ता अवयवों, आपूरित बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के गुणवत्ता जाँच हेतु अपनाये जाने वाले आवश्यक प्रक्रिया, बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के गुणवत्ता एवं विशिष्टि के मानकों की समीक्षा, आपूरित सामग्रियों के गुणवत्ता जाँचफल निर्धारित विशिष्टि से प्रतिकूल रहने की स्थिति में नियम का निर्धारण एवं बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच के लिए आवश्यक जाँच उपकरणों की उपलब्धता पर आवश्यक निर्णय से संबंधित नियम के निर्धारण हेतु गठित समिति एवं हाई लेवल तकनीकी टीम की अनुशंसा के आलोक में निम्न आदेश संसूचित किये जाते हैं :-

1. बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के कोटेशन आमंत्रण सूचना में इसके गुणवत्ता अवयवों एवं अन्य कंडिकाओं का पुनरीक्षण -

i. बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के क्रय हेतु कोटेशन/निविदा का आमंत्रण :-

आगामी बाढ़ वर्ष के दौरान बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में उपयोग होने वाले बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के क्रय हेतु प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर माह में कोटेशन/निविदा आमंत्रित किया जाय, ताकि कार्यावटन के पश्चात आपूर्तिकर्ताओं को गुणवत्ता एवं विशिष्टि के अनुरूप सामग्रियों की आपूर्ति के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इसके लिए आवश्यक है कि बाढ़ अवधि समाप्त होते ही नवम्बर के दूसरे सप्ताह तक सामग्रियों की आवश्यकता से संबंधित आँकड़े/अधियाचना मुख्य अभियंता (बाढ़ परिक्षेत्र) द्वारा विभाग को उपलब्ध करा दिया जाय।

ii. बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों की आपूर्ति के लिए आपूर्तिकर्ता/निर्माता का निबंधन:-

बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के आपूर्तिकर्ताओं/निर्माताओं (Manufacturers) के जल संसाधन विभाग, बिहार में निबंधन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाय। सामग्रियों के आपूर्तिकर्ता/निर्माता जल संसाधन विभाग, बिहार में निबंधित रहने पर कोटेशन/निविदा में भाग ले सकेंगे। इसके अतिरिक्त आपूर्तिकर्ता/निर्माता MSME (Micro, Small & Medium

Enterprises) के रूप में Central Government Organisation/ State Government Organisation /NSIC (National Small Industry Corporation) में निबंधित रहने पर भी कोटेशन/निविदा में भाग लेंगे, लेकिन संबंधित सामग्री के आपूर्ति कार्य के लिए Letter of acceptance (LOA) प्राप्त हो जाने के बाद एवं एकरारनामा के पूर्व उन्हें जल संसाधन विभाग, बिहार में बिहार ठेकेदारों निबंधन नियमावली, 2007 के तहत अनिवार्य रूप से निबंधन कराना होगा।

iii. बाढ़ सघर्षात्मक कार्य में उपयोग होने वाले सामग्रियों के क्रय हेतु निविदा/कोटेशन में सामग्रियों की गुणवत्ता से संबंधित प्रावधान का निर्धारण:-

(क) कोटेशनदाता को प्रत्येक सामग्रियों के तीन-तीन नमूनों एवं NABL से मान्यता प्राप्त स्टैंडर्ड संस्था/प्रयोगशाला से उक्त नमूनों का गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन निदेशक, क्रय, भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना के कार्यालय में कोटेशन आमंत्रण सूचना के अनुरूप निर्धारित तिथि एवं समय तक जमा करना अनिवार्य होगा।

वर्तमान में लागू उपरोक्त प्रावधान के अतिरिक्त कोटेशनदाताओं/निविदाताओं द्वारा जमा किये गये नये खाली सीमेंट बोरो, नन वोभन जियो बैग, नन वोभन मेगा जियो बैग, नायलन क्रेट, जी0टी0 फिल्टर, बी0ए0 वायर एवं पी0 पी0 रोप गैबियन इत्यादि के नमूनों की जाँच विभागीय स्तर से निदेशक, क्रय, भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना के माध्यम से जियो टेक्सटाइल जाँच प्रयोगशाला, शोध संस्थान, खगौल, पटना से करायी जायेगी एवं प्राप्त गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन विभागीय तकनीकी बीड मूल्यांकन समिति/विभागीय क्रय समिति के समक्ष तकनीकी बीड के विचारार्थ उपस्थापित किया जायेगा। तकनीकी बीड में सफल/असफल होने के लिए प्राप्त गुणवत्ता जाँचफल भी एक आधार होगा।

(ख) नये खाली सीमेंट बोरो, जियो बैग, मेगा जियो बैग, जी0टी0 फिल्टर, बी0ए0 वायर एवं पी0 पी0 रोप गैबियन के लिए सभी निर्माता कम्पनी के पास BIS निबंधन का होना माह दिसम्बर, 2024 से आमंत्रित कोटेशन/निविदा हेतु अनिवार्य होगा।

(ग) शोध एवं प्रशिक्षण अंचल, खगौल, पटना एवं क्रय, भंडार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, पटना के पदाधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष तकनीकी बीड में सभी अहर्ताओं को पूर्ण करने वाले निर्माता कम्पनियों के फैक्ट्री का एक सप्ताह के अन्दर स्थल निरीक्षण कर फैक्ट्री स्तर पर सामग्रियों के विनिर्माण (manufacturing) के लिए यंत्र-संयंत्र, क्षमता एवं सामग्री की गुणवत्ता जाँच की व्यवस्था के समन्ध में आत्मभारित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जायेगा।

2. आपूरित बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के गुणवत्ता जाँच हेतु अपनायी जाने वाली आवश्यक प्रक्रिया का निर्धारण :-

क) मुख्य अभियंता (बाढ़ परिक्षेत्र) के संबंधित गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) प्रमंडल द्वारा उस परिक्षेत्र के consignee प्रमंडलों तथा असंबद्ध प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता/कनीय अभियंता तथा आपूर्तिकर्ता अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में निम्नांकित के अनुरूप नमूनों का संग्रह Randomly नियमानुसार किया जाय तथा साथ ही नमूना संग्रह का Videography भी कराया जाय :-

- | | |
|-------------------------------|---|
| i) नया खाली सीमेंट बोरा :- | प्रत्येक कनसाईनमेंट (लॉट) से 20 अदद (आई0 एस0 कोड 11652 के अनुरूप) |
| ii) नन वोभन जियो बैग :- | क) 12500 तक लॉट से 03 अदद
ख) 12501 से 25000 तक लॉट से 06 अदद
ग) 25001 से 50000 तक लॉट से 09 अदद |
| iii) नन वोभन मेगा जिया बैग :- | क) 25000 तक लॉट से 03 अदद
ख) 25000 के ऊपर लॉट से 06 अदद |
| iv) नायलन क्रेट :- | क) 1000 तक लॉट से 10 अदद
ख) 1001 से 5000 तक लॉट से 20 अदद
ग) 5000 के ऊपर लॉट से 30 अदद |
| v) जी0 टी0 फिल्टर :- | (1 मी0 लम्बा x 1 मी0 चौड़ा) |
| vi) पी0 पी0 रोप गैबियन | (1.80 मी0 x 1.80 मी0 x 0.5 मी0)
क) 25000 तक लॉट से 03 अदद
ख) 25000 के ऊपर लॉट से 06 अदद |
| vii) पी0 पी0 रोप गैबियन | (1.80 मी0 x 1.20 मी0 x 0.5 मी0)
क) 25000 तक लॉट से 03 अदद
ख) 25000 के ऊपर लॉट से 06 अदद |

ख) नमूनों का संग्रह इस तरह किया जाय कि वह पूर्ण आपूरित सामग्रियों का प्रतिनिधित्व करे। नये खाली सीमेंट बोरो, जियो बैग, मेगा जियो बैग, नायलन क्रेट, जी0 टी0 फिल्टर, बी0 ए0 वायर एवं पी0 पी0 रोप गैबियन की गुणवत्ता की जाँच बाढ़ परिक्षेत्र के संबंधित गुण नियंत्रण (बाढ़ एवं जल निस्सरण) प्रमंडल स्थित प्रयोगशाला में की जायेगी। लेकिन बाढ़ परिक्षेत्र के संबंधित गुण नियंत्रण (बाढ़ एवं जल निस्सरण) प्रमंडल स्थित प्रयोगशाला में जाँच की सुविधा उपलब्ध नहीं रहने पर उपरोक्त सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच नजदीकी गुण नियंत्रण प्रमंडल स्थित प्रयोगशाला में की जायेगी। नजदीकी गुण नियंत्रण प्रमंडल के प्रयोगशाला में सामग्रियों की गुणवत्ता जाँच नहीं हो पाने की स्थिति में ही जियो टेक्सटाइल जाँच प्रयोगशाला, शोध संस्थान, शोध भवन, पटना में की जाय। गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन विशिष्ट के अनुरूप नहीं होने पर सामग्रियों की आपूर्ति नहीं ली जाय। पूर्व की भाँति उड़नदस्ता द्वारा कार्य स्थल से संग्रह किये गये बाढ़ सामग्रियों के नमूनों की गुणवत्ता जाँच का प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर उपलब्ध कराया जायेगा।

ग) गुणवत्ता के लिए 20 प्रतिशत राशि अवरूद्ध रखी जायेगी, जिसे विशिष्ट के अनुरूप गुणवत्ता जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद विमुक्त किया जायेगा।

3. बाढ़ संघर्षात्मक सामग्रियों के गुणवत्ता एवं विशिष्टि के मानकों की समीक्षा :-

क) नये खाली पीमेंट बोरो (HDPE/PP Woven Bag) की विशिष्टि वर्तमान में I.S-11652 : 2000 में निर्धारित मानकों के अनुरूप है। इसके अतिरिक्त बोरो की लम्बाई बॉटम सीम से खुला आंम छोर तक 76 सेंटी मीटर रखी जाय।

ख) मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना की अध्यक्षता में गठित तकनीकी टीम द्वारा दिनांक 30.09.2023 के 1.2 घन फीट स्थानीय बालू के 25 बोरो को 1m x 1m x 1m के नायलन क्रेट एवं 1.2m x 1.0m x 1.0m के नायलन क्रेट में रखकर जाँच की गयी। 1.2 घन फीट स्थानीय बालू के 25 बोरो को 1m x 1m x 1m के नायलन क्रेट में रखा जाना कठिन पाया गया। यद्यपि 1.2 घन फीट स्थानीय बालू के 25 बोरो को 1.2m x 1.0m x 1.0m के नायलन क्रेट में रखा जाना सुविधाजनक पाया गया।

अतः बाढ़ सुरक्षात्मक/संघर्षात्मक कार्य की महत्ता एवं Workability को ध्यान में रखते हुए नायलन क्रेट की वर्तमान विशिष्टि बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य एवं बाढ़ संघर्षात्मक कार्य हेतु निम्नवत् परिवर्तित की जाती है :-

नायलन क्रेट की वर्तमान विशिष्टि (1m x 1m x 1m) with 20 cms. mesh of specification 1260/3/4/2 (i.e having 24 nos. of threads) of weight 165 Grams ($\pm$) 5 Grams.

नायलन क्रेट की परिवर्तित विशिष्टि (1.2m x 1.0m x 1.0m) with 20 cms $\pm$ 1 cm mesh of specification 1260/3/4/2 (i.e having 24 nos. of threads) of weight 187 Grams ($\pm$) 5 Grams.

वर्तमान में नायलन क्रेट का Physical properties ही राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित है। नायलन क्रेट का chemical properties एवं mechanical properties प्राप्त करते हुए इसकी विशिष्टि राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति से निर्धारित किया जाय।

सभी मुरय अभियंता प्रक्षेत्रों में पूर्व से स्टॉक/गोदाम में उपलब्ध नायलन क्रेट एवं अन्य बाढ़ सामग्रियों का उपयोग पहले किया जाय। पूर्व के वर्षों की सामग्री समाप्त होने पर ही नये आपूरित सामग्रियों को व्यवहार में लाया जाय।

ग) नन वोभन जियो बैग एवं नन वोभन मेगा जियो बैग की विशिष्टि IS Code 16653: 2017 के Type-1 के अनुरूप होगी।

घ) बी0 ए0 वायर्स (3.15 mm dia) की विशिष्टि I.S 280 : 2006 के अनुरूप व्यास 3.15 mm $\pm$ 0.015mm तथा Tensile Strength 500 MPa (Max.) होगा।

ड.) पी0 पी0 रोप रीबियन (1.8m x 1.8m x 0.5m & 1.8m x 1.2m x 0.5m) की विशिष्टि राज्य स्तरीय अनुसूचित दर निर्धारण समिति द्वारा अनुमोदित है, जिसे यथावत रखी जाय।

च) जी0 टी0 फिल्टर की विशिष्टि केन्द्रीय जल आयोग के द्वारा निर्गत गाईड लाईन Handbook of Flood Protection, Anti erosion & River training works के अनुसार रखा जाय।

4. आपूरित सामग्रियों के गुणवत्ता जाँचफल निर्धारित विशिष्टि से प्रतिकूल रहने की स्थिति में नियम का निर्धारण :-

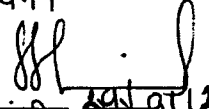
आपूरित सामग्रियों के गुणवत्ता जाँचफल निर्धारित विशिष्टि के अनुरूप नहीं होने की स्थिति में गुणवत्ता के लिए 20 प्रतिशत अवरुद्ध राशि एवं क्रयादेशित राशि के विरुद्ध जमा जमानत की राशि को जब्त की जायेगी। साथ ही आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध बिहार ठेकेदारी निबंधन नियमावली 2007 एवं समय समय पर संशोधित आदेश के तहत कार्रवाई की जायेगी।

5. सभी गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) प्रमंडलों में आवश्यक जाँच उपकरणों की उपलब्धता की समीक्षा :-

सभी गुण नियंत्रण (बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण) प्रमंडलों में गुणवत्ता की जाँच हेतु आवश्यक उपकरणों के क्रय एवं अधिष्ठापन की कार्रवाई मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रुपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, पटना के माध्यम से की जायेगी।

6. उपरोक्त पर माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार का अनुमोदन प्राप्त है।

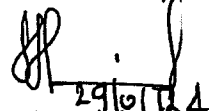
7. इस संबंध में पूर्व से निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।


(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-02/क्रय-03-06/2023 पार्ट-1- 43 /पटना, दिनांक- 29-01-2024

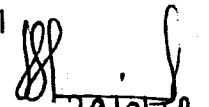
प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण/ अपर सचिव, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग/संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)/संयुक्त सचिव (प्रबंधन)/सभी मुख्य अभियंता (यांत्रिक सहित), जल संसाधन विभाग/ निदेशक, वाल्मी, पटना/संयुक्त निदेशक, FMISC, पटना/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1/2/3/4, पटना/अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना/अधीक्षण अभियंता, उड़नदस्ता अंचल-1/2, पटना/संयुक्त सचिव, काड़ा, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-02/क्रय-03-06/2023 पार्ट-1- 43 /पटना, दिनांक- 29-01-2024

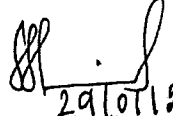
प्रतिलिपि :- निदेशक, क्रय भण्डार एवं सामग्री प्रबंधन निदेशालय, जल संसाधन विभाग, पटना को आदेश के अनुरूप अग्रेतर आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-02/क्रय-03-06/2023 पार्ट-1- 43 /पटना, दिनांक- 29-01-2024

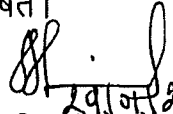
प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव,
जल संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।


29/01/24
(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)

ज्ञापांक-02/क्रय-03-06/2023 पार्ट-1- 43 /पटना, दिनांक- 29-01-2024

प्रतिलिपि :- कार्यपालक अभियंता, आई०टी०, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन
विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड एवं ई-मेल करने हेतु प्रेषित।


29/01/24
(संजीव शैलेश)

संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)